

जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी संगठन

जरिये महासचिव श्री. तेज राम मीना

बनाम

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जरिये प्रबंध निदेशक एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 12023/2018)

12 दिसंबर 2018

(आर.एफ. नरीमन और एम.आर. शाह, जे.जे.)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-धारा.7, 238- प्रतिवादी नंबर 1-कंपनी एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई - औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की प्रथम दृष्टया राय थी कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए और इसे आगे उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था - उच्च न्यायालय ने मामले को कंपनी याचिका के रूप में पंजीकृत किया - प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के वित्तीय ऋण अर्जित किए - कुछ समय बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने राष्ट्रीय कंपनी के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उसे सौंपा गया ऋण बकाया है - एनसीएलटी ने दिनांक 13.04.2018 के आदेश द्वारा संहिता की धारा 238 में निहित गैर-विषयक खंड का उल्लेख किया और माना कि वह संतुष्ट है कि धारा 7 की शर्तें पूरी हो चुकी हैं और इसलिए, आवेदन को स्वीकार कर लिया गया-कंपनी की याचिका और अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय ने समापन को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। इसके समक्ष लंबित कार्यवाही, और एनसीएलटी के आदेश दिनांक 13.04.2018 को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि इसे अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था - आयोजित की स्वामित्व: हालांकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434, जो कुछ

कार्यवाही के हस्तांतरण से संबंधित है, को प्रतिस्थापित किया गया था संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा, फिर भी प्रतिस्थापित धारा 434, केवल कंपनी अधिनियम, 2013 में दिखाई देती है और उस अधिनियम का हिस्सा है, ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा 434 और प्रावधानों के बीच कोई असंगतता है संहिता, बाद वाली को प्रबल होनी चाहिए - एनसीएलटी एक सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 3 - उच्च न्यायालय यह कहने में सही नहीं था कि इससे पहले की कार्यवाही एनसीएलटी क्षेत्राधिकार के बिना था एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही को उस चरण से जारी रखा जाना चाहिए जिस स्तर पर उन्हें छोड़ दिया गया था, इसलिए, उच्च न्यायालय फैसले को रद्द कर दिया गया इसके अलावा, कंपनी की याचिका लंबित है संहिता की धारा 238 के मद्देनजर उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य संबंधित मामले इस तथ्य के आलोक में निपटाए जाते हैं कि संहिता, 2016 के तहत कंपनियों को अपना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम चलाना होगा अधिनियम, 2013 - धारा 434 (17.08.2018 से संशोधित) - बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 धारा 20 कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016- आरआर। 5(2) और 6.

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. यह स्पष्ट है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के तहत, अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही, जो समापन से संबंधित हैं कंपनियों और जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से ठीक पहले लंबित हैं, उन्हें एनसीएलटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वह

चरण जिस पर ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जाना है वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

[पैरा-12][938-सी-डी]

2. स्थानांतरण नियमावली 2016 (असंशोधित) के नियम 5 एवं 6 को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि तीन प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख है। नियम 5(1) के तहत, जो याचिकाएँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (ई) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर समापन से संबंधित हैं, उन्हें एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जाना है। मामले में प्रतिवादी को याचिका तामील नहीं की गई है। फिर उन्हें संहिता की धारा 7, 8, या 9 के तहत आवेदन के रूप में माना जाएगा और संहिता के भाग II के अनुसार निपटाया जाएगा। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (ए) और (एफ) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी याचिकाएँ, जिनमें उत्तरदाताओं पर याचिका तामील नहीं की गई है, को एनसीएलटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केवल ऐसी याचिकाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत याचिका के रूप में माना जाएगा। नियम 5 और 6 द्वारा निपटाए गए मामलों की तीसरी श्रेणी नियम 5(2) में निहित है। यह श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जहां बीआईएफआर ने एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत एक कंपनी को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय को एक राय भेजी है। ऐसे सभी मामले, चाहे वे किसी भी चरण के हों, एसआईसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते रहेंगे। [पैरा 13] [938-डी-जी]

3. यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला केवल नियम 5(2) से संबंधित है। इस तथ्य के बावजूद कि एसआईसी अधिनियम की धारा 20 एक कंपनी को कंपनी

अधिनियम, 1956 के तहत उचित और न्यायसंगत प्रावधान के तहत बंद करने की बात करती है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (एफ) है, फिर भी, चूंकि मामले गिर जाते हैं एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत नियम 5(2) के तहत अलग से निपटा जाता है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(एफ) के तहत दायर की गई याचिकाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिन्हें नियम 6 के तहत अलग से निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय उन याचिकाओं पर विचार करने में सही नहीं है जो एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (एफ) के अनुरूप हैं और 2016 के स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू करते हैं। [पैरा 14][938-जी-एच; 939-ए]

4. हालाँकि, नियम 5(2) की भाषा काफी स्पष्ट है, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि नियम 5 को 29.06.2017 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, नियम 5(2) को हटा दिया गया है। नियम 5(2) के हटने का प्रभाव एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी मामलों को स्वचालित रूप से एनसीएलटी में स्थानांतरित करना नहीं है, अन्यथा, ऐसे मामलों को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए एक विशिष्ट नियम बनाना होगा, जैसा कि नियम 5(1) में किया गया। प्रतिस्थापित नियम 5 में नियम 5(2) को हटाने का वास्तविक कारण यह है कि एसआईसी अधिनियम में केवल एक बार यह बताना आवश्यक है कि एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। उच्च न्यायालय द्वारा 29.06.2017 के बाद भी नियम 5(2) को जारी रखना अनावश्यक था क्योंकि 15.12.2016 को, एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना था, जिसके पहले ऐसे मामले लंबित थे। चूंकि 01.12.2016 के बाद एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत बीआईएफआर द्वारा कोई राय नहीं दी जा सकती थी, जब एसआईसी अधिनियम निरस्त कर दिया गया था,

तो नियम 5(2) को जारी रखना अनावश्यक था, क्योंकि 15.12.2016 को धारा के तहत सभी लंबित कार्यवाही समाप्त हो गई थी। एसआईसी अधिनियम के 20 को उच्च न्यायालय में जारी रहना था और उसके बाद भी जारी रहेगा। 17.08.2018 से धारा 434(1)(सी) में संशोधन द्वारा इसे और स्पष्ट कर दिया गया है, जहां इस तिथि से ठीक पहले अदालत के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही का कोई भी पक्ष ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन दायर कर सकता है और न्यायालय, उस स्तर पर, आदेश द्वारा, ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित कर सकता है। इस प्रकार हस्तांतरित की गई कार्यवाही को एनसीएलटी द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला कोड समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2016 स्थानांतरण नियमों की धारा 434 (संशोधित) और नियम 5 की योजना के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई पक्ष पहले आवेदन दायर नहीं करता, पहले उच्च न्यायालय कार्यवाही को 17.08.2018 के बाद स्थानांतरित करने के लिए, एक बार यह हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना होगा जो कोड के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में ऐसी कार्यवाही से निपटेगा। [पैरा 15] [1939-बी-जी]

5. उच्च न्यायालय का निर्णय, हालांकि, 2016 के स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू करने में गलत है, फिर भी संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के साथ पढ़े गए नियम 5(2) के संदर्भ में इस पहलू पर समर्थित किया जा सकता है। 17.08.2018 से प्रभावी। [पैरा 16][939-एच; 940-ए]

6. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने 11.01.2018 को संहिता के तहत धारा 7 आवेदन दायर किया है, जिस पर एनसीएलटी द्वारा 13.04.2018 को ऐसे

आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है। यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही के स्थानांतरण से कोई लेना-देना नहीं है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले यह प्रतिवादी संख्या 3 के लिए किसी भी समय खुला था। [पैरा 17][940-बी-सी]

7. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 का तर्क है कि चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है, इसलिए संशोधित धारा 434 को संहिता के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि कंपनी अधिनियम के रूप में। 2013 को इस कारण से खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, फिर भी प्रतिस्थापित धारा 434, केवल कंपनी अधिनियम, 2013 में दिखाई देती है और उसी का हिस्सा है कार्यवाही करना। ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा 434 और संहिता के प्रावधानों के बीच कोई असंगतता है, तो बाद वाला प्रबल होना चाहिए। एनसीएलटी एक सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शुरू की गई एक स्वतंत्र कार्यवाही में संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था। यह मामला होने पर, यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय यह कैसे मान सकता है कि एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। इसलिए, इस स्कोर पर, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।

एनसीएलटी की कार्यवाही अब उसी चरण से जारी रहेगी जहां से उन्हें छोड़ा गया है। जाहिर है, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनी की याचिका पर संहिता की धारा 238 के मद्देनजर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष

लंबित रिट याचिकाओं को भी इस तथ्य के आलोक में निपटाया जाना चाहिए कि संहिता के तहत कार्यवाही अपना पूरा कोर्स चलाना चाहिए। [पैरा18] [940-डी-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 12023/2018

(राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.06.2018 से, एस.बी. कंपनी याचिका संख्या 19/2009 खण्डपीठ जयपुर, राजस्थान)

अपीलकर्ताओं के लिए सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ वकील, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, सुश्री प्रियंका राठी, सलाहकार।

उत्तरदाताओं के लिए पी. चिदम्बरम, वरिष्ठ वकील, आशु कंसल, टी.वी.एस. राघवेंद्र श्रेयस, सुश्री गायत्री गुलाटी, सुश्री स्नेह ढिल्लन, करण बटुरा, सिद्धार्थ दवे, ऋषि माटोलिया, सुश्री सुमति शर्मा, एच.डी. थानवी, अंकित सरीन, तरुण गुप्ता, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री रुचि कोहली, राहुल प्रताप, निखिल नैय्यर, सुश्री गरिमा बजाज, सूर्य कांत, प्रणव व्यास, सुश्री प्रियंका त्यागी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर.एफ.नरीमन, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील एक कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गई है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 01.06.2018 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने से इन्कार कर दिया है। (एनसीएलटी), और एनसीएलटी के दिनांक 13.04.2018 के आदेश को रद्द कर दिया है जिसके आदेश द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("दिवाला संहिता" या "कोड") की धारा 7 के तहत एक वित्तीय ऋणदाता की याचिका स्वीकार कर ली गई है।

3. इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है, 30.09.1997 को, प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी का खाता एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया था, और चूंकि कंपनी की कुल संपत्ति नकारात्मक हो गई थी, इसलिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ("बीआईएफआर") के तहत एक संदर्भ दिया गया था। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 ("एसआईसी अधिनियम")। 26.09.2002 को, बीआईएफआर की प्रथम दृष्टया राय थी कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, जिसे उच्च न्यायालय को भेज दिया गया था। अंततः उच्च न्यायालय ने इसे कंपनी याचिका संख्या 19/2009 के रूप में मामला पंजीकृत कर लिया। अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 3) ने प्रतिवादी नंबर 1 के सभी वित्तीय ऋणों को काफी हद तक हासिल कर लिया। राजस्थान राज्य ने कंपनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः, एक श्रमिक संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका में, रिट याचिका संख्या 504/2000, उच्च न्यायालय ने 07.12.2017 को आधिकारिक परिसमापक को अस्थायी रूप से न्यायालय से जुड़ने और मूल्यांकन में शामिल होने का निर्देश दिया। कंपनी के कारखाने परिसर में पड़े माल और सामग्री का मूल्य ताकि श्रमिकों के बकाया का भुगतान किया जा सके।

4. इस बीच, 11.01.2018 को, प्रतिवादी संख्या 3 ने दिवाला संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उस पर 356 करोड़ रुपये का निर्धारित ऋण बकाया है। एनसीएलटी ने धारा 238 में निहित गैर-अस्थिर खंड का हवाला देते हुए कहा कि तथ्य यह है कि कंपनी द्वारा ऋण स्वीकार कर लिया गया था और आज तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही में कोई परिसमापन आदेश पारित नहीं किया गया था। दिवाला संहिता, कि वह संतुष्ट है कि धारा 7 की शर्तें पूरी हो गई हैं और इसलिए, आवेदन स्वीकार किया



जाना चाहिए। तदनुसार, संहिता की धारा 14 के अनुसार स्थगन की घोषणा की गई और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया।

5. इस बीच, कंपनी याचिका संख्या 19/2009 और अन्य संबंधित मामलों में, श्रमिक संघों द्वारा दायर की गई विभिन्न रिट याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने 26.04.2018 के एक अंतरिम आदेश द्वारा एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। 13.04.2018 को इस आदेश के खिलाफ, एक विशेष अनुमति याचिका ("एसएलपी") दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने 09.05.2018 को एसएलपी को वापस ले लिया और खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को लंबित कंपनी याचिका और संबद्ध मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ देने का निर्देश दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2018 को आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिसमें उसने अपने समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, और एनसीएलटी के दिनांक 13.04.2018 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था। तदनुसार, रिट याचिकाएं और कंपनी याचिका 05.07.2018 को अगले आदेश के लिए रखी गईं। 16.07.2018 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.चिदंबरम ने तर्क दिया है कि संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची और संशोधनों का अवलोकन कंपनी अधिनियम, 2013, विशेष रूप से उसकी धारा 434 में बनाया गया, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी समापन कार्यवाही को ऐसे चरण में एनसीएलटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कंपनी (लंबित कार्यवाही

का स्थानांतरण) नियम, 2016 ("2016 स्थानांतरण नियम") के नियम 5 और विशेष रूप से उसके नियम 5(2) का उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि नियम 5(2) को 29.06.2017 और उसके बाद जारी नहीं रखा गया था, इसलिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि एसआईसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को इस तरह की चूक के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता है। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था क्योंकि 2016 के स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू नहीं किया गया था, न कि नियम 5 को। नियम 5(2) के हटने के बाद, कार्यवाही किसी भी स्थिति में एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, धारा 434(1)(सी) में किए गए 2018 के संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी समापन कार्यवाही का कोई भी पक्ष ऐसे स्थानांतरण के लिए आवेदन दायर कर सकता है। कार्यवाही, और फिर न्यायालय ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी मामले में, एनसीएलटी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया गया धारा 7 का आवेदन एक स्वतंत्र आवेदन था जिसे एनसीएलटी द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया था, जिसने दिवाला संहिता की धारा 238 को सही ढंग से लागू किया था।

7. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। विद्वान वकील के अनुसार, भले ही 2016 के स्थानांतरण नियमों के नियम 5 को लागू किया जाए, नियम 5 (2) ने यह स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी, जो धारा 20 के अनुसार एक कंपनी को बंद करने की कार्यवाही है। एसआईसी अधिनियम के 29.06.2017 को नियम 5 में किए गए संशोधन में इस नियम की चूक से इस मामले से निपटने के लिए उच्च न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि

एसआईसी अधिनियम 01.12.2016 से निरस्त कर दिया गया था, और निरस्त के साथ-साथ इसे भी रद्द कर दिया गया था। यह बताना आवश्यक है कि एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत शुरू की गई समापन की कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई जाती रहेगी। एक बार ऐसा कहा गया था, जब नियम 5 में संशोधन किया गया था, तो उक्त प्रावधान को जारी रखना अनावश्यक हो गया क्योंकि ऐसी सभी कार्यवाहियां निरसन की तारीख से उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई जाती रहेंगी। एसआईसी अधिनियम. समान रूप से, विद्वान वकील के अनुसार, संहिता की धारा 238 का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि यह एक गैर-अवरोधक खंड है जो दिवाला संहिता और अन्य कानूनों के बीच टकराव को रोकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 में संशोधन किया गया है। दिवाला संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार, धारा 238 का कोई उपयोग नहीं होगा, और इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा, ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का निर्णय सही है।

8. सभी पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमें सबसे पहले श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटना होगा। विद्वान वकील के अनुसार, दिनांक 01.06.2018 के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक अपील दायर की गई है, और चूंकि यह अपील अभी भी लंबित है। हमें कर्मचारी संघ के आदेश पर दायर एसएलपी पर विचार नहीं करना चाहिए, जो प्रतिवादी नंबर 3 के साथ सांठगांठ में है। आम तौर पर, हम अपीलकर्ता को डिवीजन बेंच में भेज देते, लेकिन चूंकि उठाए गए सवाल आम तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए यह है बेहतर होगा कि जल्द से जल्द कोई आधिकारिक निर्णय दिया जाए। यही कारण है कि हमने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध सीधे इस एसएलपी पर विचार किया है। श्री लूथरा ने यह भी कहा है कि यह कहना गलत है कि वह जिस ग्राहक का प्रतिनिधित्व करते हैं

वह प्रतिवादी नंबर 3 के साथ मिलीभगत से एक गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त संघ है, और उन्होंने उक्त संघ के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की ओर इशारा किया है। जैसा भी हो, चूँकि यह एसएलपी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है जिन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है, हमने इस प्रारंभिक आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया है।

9. दिवाला संहिता की धारा 255 इस प्रकार है:

"255. 2013 के अधिनियम 18 का संशोधन-कंपनी अधिनियम, 2013 को ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।"

इस धारा के अनुसरण में, संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधन करती है। 15.11.2016 को, 01.12.2016 से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

"434. कुछ लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण - (1) ऐसी तारीख पर जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए,-

(ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10-ई की उप-धारा (1) के तहत गठित कंपनी कानून प्रशासन बोर्ड (यहां इस अनुभाग में कंपनी कानून बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित सभी मामले, कार्यवाही या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पहले ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ट्रिब्यूनल इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों, कार्यवाही या मामलों का निपटान करेगा,

(बी) ऐसी तारीख से पहले किए गए कंपनी लॉ बोर्ड के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर

उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाला कानून का प्रश्न:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय यदि संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक नहीं की अतिरिक्त अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है; और

(सी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सभी कार्यवाही, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाही शामिल है, जो किसी भी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख से तुरंत पहले लंबित हैं, ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दी जाएंगी और ट्रिब्यूनल ऐसी कार्यवाहियों को उनके स्थानांतरण से पहले के चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

बशर्ते कि कंपनियों के समापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाही ही ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चरण में हों।

(2) केंद्र सरकार इस धारा के तहत कंपनी लॉ बोर्ड या अदालतों के समक्ष लंबित सभी मामलों, कार्यवाही या मामलों को ट्रिब्यूनल में समय पर स्थानांतरित करने को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है।"

17.08.2018 को, संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची में किए गए एक संशोधन द्वारा, धारा 434 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

"434. कुछ लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण-(1) ऐसी तारीख पर जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए-

(ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10-ई की उप-धारा (1) के तहत गठित कंपनी कानून प्रशासन बोर्ड (यहां इस अनुभाग में कंपनी कानून बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित सभी मामले, कार्यवाही या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पहले ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ट्रिब्यूनल इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों, कार्यवाही या मामलों का निपटान करेगा।

(ब) किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी तारीख से पहले बनाया गया कंपनी लॉ बोर्ड अपील दायर कर सकता है। ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय को।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय यदि संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक नहीं की अतिरिक्त अवधि भी के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है; और

(सी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सभी कार्यवाही, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाही शामिल है, जो किसी भी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख से तुरंत पहले लंबित हैं, ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दी जाएंगी और ट्रिब्यूनल ऐसी कार्यवाहियों

को उनके स्थानांतरण से पहले के चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

बशर्ते कि कंपनियों के समापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाही ही ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चरण में हों:

बशर्ते कि समापन के अलावा अन्य मामलों से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाही, जिसके लिए कार्यवाही की अनुमति देने या अन्यथा आदेश उच्च द्वारा आरक्षित नहीं हैं, अदालतों को ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किया जाएगा:

वह भी प्रदान किया

(i) कंपनियों के समापन से संबंधित मामलों के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सभी कार्यवाही जो ऐसी कार्यवाही की अनुमति देने या अन्यथा आदेश के लिए आरक्षित हैं, या

(ii) उन कंपनियों के समापन से संबंधित कार्यवाही, जिन्हें उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित नहीं किया गया है,

कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा:]

बशर्ते कि किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन के मामलों से संबंधित कार्यवाही जहां विज्ञापन द्वारा समाधान की सूचना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 485 की उप-धारा (1) के तहत दी गई हो, लेकिन कंपनी को 1 से पहले भंग नहीं किया गया हो। 1 अप्रैल, 2017

को कंपनी अधिनियम, 1956 एच और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना जारी रहेगा:

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के शुरु होने से ठीक पहले किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनियों के समापन से संबंधित किसी भी कार्यवाही से संबंधित कोई भी पक्ष या पार्टियां ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन दायर कर सकती हैं। न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर सकता है और इस प्रकार हस्तांतरित कार्यवाही को ट्रिब्यूनल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा। 2016 (2016 का 31)

(2) केंद्र सरकार इस धारा के तहत कंपनी लॉ बोर्ड या अदालतों के समक्ष लंबित सभी मामलों, कार्यवाही या मामलों को ट्रिब्यूनल में समय पर स्थानांतरित करने को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है।"

10. 07.12.2016 को, दिवाला संहिता की धारा 239 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016, 01.04 2017 से लागू हो गए। वर्तमान मामले में निर्णय के लिए 2016 के नियमों के नियम 5 और 6 प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार निर्धारित हैं:

"5. ऋण चुकाने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण।-(1) अधिनियम की धारा 433 के खंड (ई) के



तहत पहले से लंबित ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन से संबंधित सभी याचिकाएं एक उच्च न्यायालय, और जहां कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के तहत आवश्यक प्रतिवादी पर याचिका दायर नहीं की गई है, उसे धारा 419 की उप-धारा (4) के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल की बेंच में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अधिनियम और ऐसी याचिकाओं को, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 7, 8 या 9 के तहत आवेदन के रूप में माना जाएगा, और संहिता के भाग II के अनुसार निपटाया जाएगा:

बशर्ते कि याचिकाकर्ता नियम 7 के अनुसार हस्तांतरित रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली जानकारी के अलावा सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो कि संहिता की धारा 7, 8 या 9 के तहत प्रवेश के लिए आवश्यक है, जैसा कि मामला है प्रस्तावित दिवालियापन के विवरण के साथ इस अधिसूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को पेशेवर, ऐसा न करने पर याचिका निरस्त कर दी जाएगी।

(2) ऐसे सभी मामले जहां किसी कंपनी को बंद करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय में राय भेजी गई है और जहां कोई अपील लंबित नहीं है, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, कंपनी को बंद करने की कार्यवाही शुरू की गई है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना जारी रहेगा।

6. समापन मामलों की लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण ऋण चुकाने में असमर्थता के अलावा अन्य आधार पर - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (ए) और (एफ) के तहत दायर की गई सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और जहां प्रतिवादी को याचिका की आवश्यकता के अनुसार तामील नहीं किया गया है। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायाधिकरण की पीठ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ऐसी याचिकाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रावधानों के तहत याचिका के रूप में माना जाएगा।"

11. दिनांक 29.06.2017 के एक संशोधन द्वारा, नियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:

"5. ऋण चुकाने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण -(1) संबंधित सभी याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर अधिनियम की धारा 433 के खंड (ई) के तहत परिसमापन करने के लिए, और जहां कंपनी (गणना) नियमों के नियम 26 के तहत प्रतिवादी पर याचिका दायर नहीं की गई है , 1959 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419 की उप-धारा (4) के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल की बेंच में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है और ऐसी याचिकाओं को संहिता की धारा 7, 8 या 9 के तहत आवेदन के रूप में माना जाएगा। जैसा भी मामला हो, और संहिता के भाग II के अनुसार निपटाया जाए:

बशर्ते कि याचिकाकर्ता, नियम 7 के अनुसार हस्तांतरित रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली जानकारी के अलावा, संहिता की धारा 7, 8 या 9 के तहत याचिका स्वीकार करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा, जिसमें विवरण भी शामिल है। 15 जुलाई, 2017 तक ट्रिब्यूनल में प्रस्तावित दिवाला पेशेवर, ऐसा न करने पर याचिका निरस्त कर दी जाएगी:

बशर्ते कि याचिका का कोई भी पक्ष या पक्ष 15 जुलाई, 2017 के बाद नए आवेदन दाखिल करने के लिए पात्र होंगे। संहिता की धारा 7 या 8 या 9 के तहत, जैसा भी मामला हो, संहिता के प्रावधानों के अनुसार:

बशर्ते कि जहां किसी कंपनी को बंद करने से संबंधित याचिका इस नियम के तहत ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित नहीं की जाती है और उच्च न्यायालय में रहती है और जहां कंपनी को बंद करने के खिलाफ अधिनियम की धारा 433 के खंड (ई) के तहत एक और याचिका है। 15 दिसंबर, 2016 को उसी कंपनी के लंबित होने पर, ऐसी अन्य याचिका ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित नहीं की जाएगी, भले ही याचिका प्रतिवादी को तामील न की गई हो।"

12. यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.11.2016 की अधिसूचना द्वारा संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित धारा 434 के तहत, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी कार्यवाही जो कंपनियों के समापन से संबंधित हैं और जो ऐसी तारीख से ठीक पहले लंबित हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया आवेदन एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वह चरण जिस पर ऐसी कार्यवाही को

एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जाना है वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

13. जब स्थानांतरण नियम (असंशोधित) 2016 के नियम 5 और 6 को पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि नियम 5(1) के तहत तीन प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, याचिकाएं जो खंड (ई) के तहत समापन से संबंधित हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका को प्रतिवादी पर तामील नहीं किए जाने की स्थिति में एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जाना है। फिर उन्हें संहिता की धारा 7, 8, या 9 के तहत आवेदन के रूप में माना जाएगा और संहिता के भाग II के अनुसार निपटाया जाएगा। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (ए) और (एफ) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी याचिकाएं, जिनमें उत्तरदाताओं पर याचिका तामील नहीं की गई है, को एनसीएलटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केवल ऐसी याचिकाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत याचिका के रूप में माना जाएगा। नियम 5 और 6 द्वारा निपटाए गए मामलों की तीसरी श्रेणी नियम 5(2) में निहित है। यह श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जहां बीआईएफआर ने एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत एक कंपनी को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय को एक राय भेजी है। ऐसे सभी मामले, चाहे वे किसी भी चरण के हों, एसआईसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते रहेंगे।

14. यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला केवल नियम 5(2) से संबंधित है। इस तथ्य के बावजूद कि एसआईसी अधिनियम की धारा 20 एक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उचित और न्यायसंगत प्रावधान के तहत बंद करने की बात करती है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (एफ) है, फिर भी, चूंकि

मामले गिर जाते हैं एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत नियम 5(2) के तहत अलग से निपटा जाता है, उन्हें उन याचिकाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(एफ) के तहत दायर किया गया है, जो नियम 6 के तहत अलग से निर्दिष्ट हैं। इसलिए उच्च न्यायालय उन याचिकाओं पर विचार करने में सही नहीं है जो एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार धारा 433 के अनुसार हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 और 2016 स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू करना।

15. हालाँकि, नियम 5(2) की भाषा काफी स्पष्ट है, लेकिन हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि नियम 5 को 29.06.2017 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, नियम 5(2) को हटा दिया गया है। नियम 5(2) के हटने का प्रभाव एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी मामलों को स्वचालित रूप से एनसीएलटी में स्थानांतरित करना नहीं है, अन्यथा, ऐसे मामलों को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए एक विशिष्ट नियम बनाना होगा, जैसा कि किया गया है नियम 5(1) में किया गया। प्रतिस्थापित नियम 5 में नियम 5(2) को हटाने का वास्तविक कारण यह है कि एसआईसी अधिनियम के निरसन पर केवल एक बार यह बताना आवश्यक है कि एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। उच्च न्यायालय द्वारा. 29.06.2017 के बाद भी नियम 5(2) को जारी रखना अनावश्यक था क्योंकि 15.12.2016 को, एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना था, जिसके पहले ऐसे मामले लंबित थे। चूंकि 01.12.2016 के बाद एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत बीआईएफआर द्वारा कोई राय नहीं दी जा सकती थी, जब एसआईसी अधिनियम निरस्त कर दिया गया था, तो नियम 5(2) को जारी रखना अनावश्यक था, क्योंकि 15.12.2016 को धारा के तहत सभी लंबित कार्यवाही समाप्त हो गई थी। एसआईसी

अधिनियम के 20 को उच्च न्यायालय में जारी रहना था और उसके बाद भी जारी रहेगा। 17.08.2018 से धारा 434(1)(सी) में संशोधन द्वारा इसे और स्पष्ट कर दिया गया है, जहां इस तिथि से ठीक पहले अदालत के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही का कोई भी पक्ष ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन दायर कर सकता है और न्यायालय, उस स्तर पर, आदेश द्वारा, ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित कर सकता है। इस प्रकार हस्तांतरित की गई कार्यवाही को एनसीएलटी द्वारा संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2016 स्थानांतरण नियमों की धारा 434 (संशोधित) और नियम 5 की योजना के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एसआईसी अधिनियम की धारा 20 के तहत सभी कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई पक्ष पहले आवेदन दायर नहीं करता। ऐसी कार्यवाही को 17.08.2018 के बाद स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय। एक बार यह हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना होगा जो कोड के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में ऐसी कार्यवाही से निपटेगा।

16. इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय, हालांकि 2016 स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू करने में गलत है, फिर भी इस पर समर्थन किया जा सकता है। 17.08.2018 से संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के साथ पठित नियम 5(2) के संदर्भ में पहलू।

17. हालांकि, बात यहीं खत्म नहीं होती। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने 11.01.2018 को संहिता के तहत धारा 7 आवेदन दायर किया है, जिस पर एनसीएलटी द्वारा 13.04.2018 को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है। यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन

कार्यवाही के स्थानांतरण से कोई लेना-देना नहीं है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले यह प्रतिवादी संख्या 3 के लिए किसी भी समय खुला था। यह संहिता की धारा 238 के साथ धारा 7 को पढ़ने से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

"238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान - इस संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून या ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी उपकरण में कोई असंगत बात हो।"

18. श्री दवे का सरल तर्क कि चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है, संशोधित धारा 434 को संहिता के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि कंपनी अधिनियम, 2013 को, खारिज किया जाना चाहिए इस कारण से कि यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, फिर भी प्रतिस्थापित धारा 434, केवल कंपनी अधिनियम, 2013 में दिखाई देती है और उस अधिनियम का अभिन्न अंग है। ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा 434 और संहिता के प्रावधानों के बीच कोई असंगतता है, तो बाद वाला प्रबल होना चाहिए। हमारा विचार है कि एनसीएलटी एक सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता, अर्थात् अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही में संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था। यह मामला होने के कारण, यह समझना मुश्किल है कि कैसे उच्च न्यायालय यह मान सकता था कि एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना थी, इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। एनसीएलटी की कार्यवाही अब उसी चरण से जारी रहेगी जहां से उन्हें छोड़ा गया है। जाहिर है, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनी की याचिका पर संहिता की

धारा 238 के मद्देनजर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को भी इस तथ्य के आलोक में निपटाया जाना चाहिए कि संहिता के तहत कार्यवाही अपना पूरा कोर्स चलाना चाहिए। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं।

अंकित ज्ञान

अपील स्वीकार है



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।